कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा–मा./माध्य/अ–4/नाम संशोधन/रामावि/राउमावि/2018–19 दिनांक : 24/9/19

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान।

विषय:– ऐसे राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिनके नाम के साथ अंकित पते के अतिरिक्त अन्यत्र स्थान पर उक्त विद्यालय संचालित होने के कारण संशोधन के प्रस्ताव।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में बहुत से राजकीय माध्यमिक/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ऐसे है, जो किराए के भवन में संचालित होने के कारण या अन्य किसी कारण से अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित होकर संचालित हो रहे है, परन्तु उनके नाम के साथ पता अभी भी पूर्व संचालित स्थान का ही अंकित/प्रदर्शित हो रहा है, जिसकी वजह से उक्त विद्यालय का वर्तमान पता ढूंढ़ने में आमजन को परेशानी का अनुभव होता है। अतः उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न प्रपत्र में उक्तानुसार संचालित हो रहे राजकीय विद्यालयों के नाम/पते में संशोधन के प्रस्ताव नियमानुसार संबंधित विद्यालय की एस.ड़ी.एम.सी. से पारित करवाकर प्रस्ताव की प्रति के साथ समेकित प्रस्ताव तीन दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

Rajteachers.in

Rajteachers.in

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान............

ऐसे रामावि/राउमावि के नाम संशोधन के प्रस्ताव, जो कि अपने नाम के साथ अंकित पते के अतिरिक्त अन्यत्र स्थान पर संचालित हो रहे हैः–

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	यू –डाईस/ IFMS कोड	रामावि/ राउमावि का नाम व पता	वर्तमान में उक्त विद्यालय जिस स्थान पर संचालित हो रहा है, वहां का पता	वर्तमान में संचालित स्थान से दूरी	अन्यत्र संचालित होने का कारण

Rajteachers.in
Rajteachers.in

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा–मा./माध्य/अ–4/नाम संशोधन/रामावि/राउमावि/2018–19 दिनांक : 24/9/19

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान।

विषयः– ''हरिजन'' नाम से संचालित राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नाम संशोधन बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में बहुत से राजकीय माध्यमिक/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ऐसे है, जो 'हरिजन बस्ती/हरिजन मौहल्ला' नाम से संचालित है या ऐसे भी राजकीय विद्यालय संचालित हो सकते है, जिनके नाम के साथ 'हरिजन' शब्द अंकित है। यह विदित रहे कि 'हरिजन' शब्द संवैधानिक नहीं होने के कारण ऐसे राजकीय विद्यालयों के नाम/पते से 'हरिजन' शब्द हटाया जाना आवश्यक है। अतः उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है, कि संलग्न प्रपत्र में आपके कार्यालय के अधीनस्थ संचालित ऐसे राजकीय विद्यालयों के नाम संशोधन के प्रस्ताव जिलेवार समेकित कर तीन दिवस में आवश्यक रूप से प्रेषित करें ताकि समेकित प्रस्ताव शासन को भिजवाए जाकर नाम संशोधित करवाए जा सके।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

Rajteachers.in

Rajteachers.in

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान............

"हरिजन" नाम से संचालित राजकीय विद्यालयों के नाम संशोधन के प्रस्तावः–

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	यू –डाईस/ IFMS कोड	रामावि/ राउमावि का वर्तमान नाम व पता	'हरिजन' शब्द हटाने के पश्चात् संशोधित प्रस्तावित विद्यालय का नाम व पता	विशेष विवरण

Rajteachers.in
Rajteachers.in